भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 1 अप्रैल, 2018 से शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के सशक्तिकरण हेतु एक अंब्रेला योजना के तहत "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां" कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 6 घटक अर्थात प्रि–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय समुद्रपारीय, राष्ट्रीय फैलोशिप और निःशुल्क कोचिंग छात्रवृत्तियां हैं। अंब्रेला योजना के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्र.सं.	घटक	शामिल पाठ्यक्रम	प्रति वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या	अभिभावकीय वार्षिक आय सीमा (रू.)	छात्रवृत्ति दर	कैसे आवेदन करें
1.	दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि–मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा 9 वीं और 10 वीं	20000	2.50 लाख	गैर–छात्रावासियों के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं छात्रावासियों के लिए 800 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति और 1000 रू. प्रतिवर्ष पुस्तक अनुदान एवं 2000 रू. से 4000 रू. प्रतिवर्ष की सीमा तक दिव्यांगता भत्ता।	ये तीन छात्रवृत्ति योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कायान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) पर आनलाइन आवेदन करें। पोर्टल पंजीकरण हेतु 15 जुलाई, 2019 से खुल गया है। आनलाइन आवेदन भेजने की अंतिम तिथि निम्न प्रकार हैं:– 1. प्रि–मैट्रिक : 15 अक्टूबर, 2019 2. पोस्ट–मैट्रिक : 31 अक्टूबर, 2019 3. उच्च श्रेणी शिक्षा : 31 अक्टूबर, 2019
2.	दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	कक्षा 11वीं से मास्टर डिग्री/डिप्लोमा	17000	2.50 लाख	विभिन्न विषयों में डिप्लोमा, डिग्री आदि से संबंधित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, के लिए रखरखाव भत्ते की दरें भिन्न–भिन्न हैं। यह छात्रावासियों के लिए 900–1600 रू. प्रतिमाह तथा गैर–छात्रावासियों के लिए 550–750 रू. की सीमा में तथा ट्यूशन शुल्क (अधिकतम सीमा 1.50 लाख रू. प्रतिवर्ष), पुस्तक भत्ता 1500 रू. प्रतिवर्ष और 2000 रू. से 4000 रू. प्रतिवर्ष की सीमा तक दिव्यांगता भत्ता है।	
3.	दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति	उत्कृष्टता के 240 अधिसूचित संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा	300	6.00 लाख	छात्रावासियों हेतु 3,000 रू. मासिक का रखरखाव भत्ता, गैर–छात्रावासियों हेतु 1,500 रू. प्रतिमाह रख रखाव भत्ता, 2000 रू. प्रतिमाह दिव्यांगता भत्ता, पुस्तक अनुदान 5,000 रू. प्रतिवर्ष और 2.00 लाख रू. तक प्रतिवर्ष ट्यूशन फीस।	
4.	दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	विदेश में स्थित विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री तथा डॉक्टरेट डिग्री	20	6.00 लाख	यू.के. हेतु 9,900 पौंड (ग्रेट ब्रिटेन), तथा अन्य देशों हेतु 15,400 यूएस डॉलर प्रतिवर्ष, रख रखाव भत्ता एवं ट्यूशन फीस, वार्षिक आकस्मिक भत्ता, हवाई यात्रा लागत आदि।	आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र इस विभाग की वैबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in. पर दिया गया है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अवर सचिव (छात्रवृत्ति), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नं. 516, 5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 को पूरे वर्ष भेजे जा सकते

						है।
5.	दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	भारतीय विश्वविद्यालयों में एम. फिल/पीएचडी	200	कोई सीमा नहीं	जेआरएफ (प्रथम दो वर्ष) हेतु 31,000/– रू. तथा एस आर एफ हेतु 35,000/– रू. प्रतिमाह (तीसरे वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि तक) तथा आकस्मिक अनुदान, एस्कोर्ट भत्ता/रीडर भत्ता, आवास किराया भत्ता आदि (लागू दरों पर)।	चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। यूजीसी द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने पर उम्मीदवार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवेदन प्रेषित किया जाना अपेक्षित नहीं है।
6.	दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाओं में सम्मलित होने के लिए और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु	2000	6.00 लाख	कोचिंग शुल्क पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों को इस विभाग द्वारा देय होगा। वजीफा और विशेष दिव्यांगता भत्ता बाह्य उम्मीदवारों के लिए 7000 रू. प्रतिमाह तथा स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 4500 रू. प्रतिमाह की दर से देय होगा।	प्रत्याशी पैनलबद्ध संस्थान से कोचिंग हेतु संपर्क करें। पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों की सूची इस विभाग की वैबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियां 40 प्रतिशत और उससे अधिक दिव्यांगता तथा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए उचित दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले छात्रों के लिए लागू हैं। दिव्यांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित किए अनुसार है।

कृपया छात्रवृत्ति योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वैबसाइट **www.disabilityaffairs.gov.in.** पर देखें।